अपील सूचना अधिकार संख्या 60/2020 (RCMS 2020/00132) ओमपकाश पुत्र श्रीगंगाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 4 डी बी एन तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 95115-48157) बनाम अति. जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.10.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी ओमप्रकाश स्वयं उपस्थित नहीं है। **पत्रावली का अवलोकन किया** तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन पत्र दिनांक 19.02.2020 प्रस्तुत करके सात बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ द्वारा उसे समय उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 19.02.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी :

1. प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 68/12 पर दर्ज शस्त्र 12 बोर डी बी बी एल गन नम्बर 72232 को प्रार्थी को वापिस लौटाये जाने सम्बन्धी श्रीमान एडीएम साहब, सूरतगढ के आदेश क्रमांक न्याय/शस्त्र/17/756 दिनांक 04.09.17 के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
2. पुलिस थाना सूरतगढ़ सदर द्वारा श्रीमान एडीएम साहब सूरतगढ के आदेशों की पालना न कर इसकी एवज में थानाधिकारी सूरतगढ द्वारा प्रेषित किये गये पत्र की उक्त बन्दुक दो लाईसेन्सों पर अंकित है, सम्बन्धी आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3. प्रार्थी का शस्त्र लाईसेन्स अपने पिता के वृद्ध होन व वृद्ध प्रकरण में बनाया गया है। प्रार्थी को बन्दुक व कारतुस प्रार्थी के घर से मुल्जिमान हंसराज वगैर चोरी कर ले गये थे जिसके संबध में पुलिस थाना सूरतगढ सदर में मुकदमा नम्बर 7/17 दर्ज था, प्रार्थी की बन्दुक अनुसंधान अधिकारी द्वारा जब्त नही की गई, जबकि एफ आई आर में नामजद मुल्जिम द्वारा प्रार्थी की बन्दुक एडीएम साहब सूरतगढ को प्रार्थना पत्र देकर उनके आदेशो से पुलिस थाना सूरतगढ़ में जमा करवाई गई, जबकि प्रार्थी का शस्त्र लाईसेन्स दर्ज था सम्बन्धित बाबु द्वारा अनदेखी कर श्रीमान एडीएम साहब सूरतगढ से आदेश लेकर बन्दुक थाने में जमा करवाई गई है, की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।
4. प्रार्थी को वृद्ध प्रकरण में मिली बन्दुक को घर से चोरी करके थाना में जमा करवाई गई है, क्या मुल्जिम किसी की बन्दुक चोरी करके बन्दुक थाना में जमा करवा सकता है, अगर हां तो किस नियम के तहत करवा सकता है कि पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें, जबकि प्रार्थी पर कोई पर कोई प्रकरण दर्ज नही है, जिसमे बन्दुक जब्त की जा सके।
5. प्रार्थी की बन्दुक जमा करवाने हेतु श्रीमान एडीएम साहर सूरतगढ को दिये गये प्रार्थना पत्र व जमा करवाने के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
6. प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को श्रीमान एडीएम साहब सूरतगढ में दर्ज करवाया गया है जिस पा ओ. एस. नम्बर लगे है की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।
7. प्रार्थी की बन्दुक जब से पुलिस थाना सूरतगढ सदर में जमा करवाये जाने का आदेश श्रीमान एडीएम साहब सूरतगढ द्वारा दिया गया है व जमा करवाई गई है तब से लेकर आज तक प्रार्थी द्वारा डीएम साहब श्रीगंगानगर, एडीएम साहब सूरतगढ, एडीएम साहब शहर श्रीगंगानगर, व सम्पर्क पोर्टल पर कई बार पत्र प्रेषित किये है, की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ ने अपने पत्रांक न्याय/सू.का.अ./20/534 दिनांक 30.06.2020 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है एवं अपीलार्थी को दिये गये जवाब की प्रति संलग्न कर भिजवाई है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री ओम प्रकाश पुत्र गंगाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 4 डीबीएन तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर का सूचना का अधिकार के तहत प्राथना पत्र दिनांक 25.02.2020 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। इस कार्यालय के पत्रांक न्याय/सू.का.अ./20/209 दिनांक 27.02.2020 द्वारा निम्नानुसार बिन्दुवार सूचना प्रेषित की गई :–
>
> **बिन्दु संख्या (6) के 1,2,6,7** में चाही गई सूचना से संबधित मूल पत्रावली इस कार्यालय के पत्रांक 135 दिनांक 12.4.18 द्वारा श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर को भिजवाई दी गई थी, जिसकी सूचना प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 209 दिनांक 27.02.2020 द्वारा दी गई व श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर को इस कार्यालय के पत्रांक 210–11 दिनांक 27.02.2020 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत श्रीमान को अन्तरित कर दिया गया था।
>
> **बिन्दु संख्या (6) के 3 व 5** में चाही गई सूचना से संबधित प्रार्थना पत्र मूल ही इस कार्यालय के पत्रांक 02 दिनांक 22.02.2017 द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना, सूरतगढ़ सदर को भिजवा दिया गया था। जिसकी सूचना प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 209 दिनांक 27.02.2020 द्वारा दी गई व थानाधिकारी, सूरतगढ सदर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

को इस कार्यालय के पत्रांक 210–11 दिनांक 27.02.2020 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित कर दिया गया था।

<u>बिन्दु संख्या (6) के 4</u> द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण उपलब्ध नही करवाई गई। प्रार्थी को उक्त सूचना इस कार्यालय के पत्रांक न्याय/सू0का0अ0/20/209 दिनांक 27.02.2020 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवा दी गई थी, जिसकी प्रति एवं आवश्यक दस्तावेज पत्र के संलग्न प्रेषित है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक न्याय/सू.का.अ./20/2019 दिनांक 27.02.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आपके शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 68/12/डीएम श्रीगंगानगर के संबंध में सूचना चाही गई थी। **उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में बिन्दुवार सूचना निम्नानुसार है:**

बिन्दु संख्या (6) के 1,2,6,7 में चाही गई सूचना के संदर्भ में लेख है कि उक्त प्रकरण से संबधित मूल पत्रावली इस कार्यालय के पत्रांक 135 दिनां क 12.4.18 द्वारा श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर को भिजवाई जा चुकी है।

<u>बिन्दु संख्या (6) के 3 व 5</u> में चाही गई सूचना के संदर्भ में लेख है कि हंसराज पुत्र गंगाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मूल ही इस कार्यालय के पत्रांक 02 दिनांक 22.02.2017 को थानाधिकारी, पुलिस थाना, सूरतगढ सदर को प्रेषित किया जा चुका है।

<u>बिन्दु संख्या (6) के 4</u> द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है, सूचना उपलब्ध नही करवाई जा सकती।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का जवाब लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 27.02.2020 को उक्तानुसार दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में जो उत्तर दिया गया है,** सही है और

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर